कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 189 /11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, लखनऊ, दिनांकः जुलाई 24 ,2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषयः– जनपद–गोरखपुर में सोनौली–गोरखपुर मार्ग (रा0मा0 सं0–29ई0) के किमी0 81.420 (जंगल कौड़िया) से किमी0 98.945 (मोद्दीपुर चौराहा) तक भाग को 4 लेन में चौड़ीकरण कार्य के अंतर्गत किमी0 85.500 (मानीराम रेलवे क्रासिंग) पर प्रस्तावित आर0ओ0बी0 के निर्माण में प्रभावित 0.19384 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यू0पी0/06/25/2019/एफ0सी0/36, दिनाँक–10.04.2019 एवं इस कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–1951/11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, दिनांक 12.04.2019, इस कार्यालय का पत्रांक–2461/11–सी–FP/UP/Road/36788/2018, दिनांक 26.06.2019 तथा आपका पत्रांक–345/2–6, दिनांक 19.07.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख आपने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा बिना परीक्षण किये ही इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार की आपत्ति सं0–1 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित स्थल का त्रुटिपूर्ण Geo Referenced Digital Map प्रेषित किया गया है। आपके द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावित स्थल के Geo Referenced Digital Map में न तो कोआडिनेट प्वाइंट को दर्शाया गया है और न ही कोआडिनेटस संलग्न किये गये है, जोकि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है।

अतः भारत सरकार की आपत्ति सं0–1 के निराकरण के क्रम में त्रुटिरहित सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड करते हुये बिन्दुवार निराकरण कर 03 प्रतियों में संस्तुति सहित प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय

25/7

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 189 /11–सी– FP/UP/Road/36788/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर।
2. कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0), लो0नि0वि0, गोरखपुर।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-1579